भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं .4210
18.03.2026 को उत्तर देने के लिए

एमपीलैड्स के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

4210. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को पांच वर्षों की अवधि में सहायता प्रदान करने की सीमा केवल एक करोड़ रुपये है;

(ख) क्या संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संगठन सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और अन्य विकासात्मक कार्यकलापों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और ऐसी कई परियोजनाएं वित्तीय बाधाओं के कारण अधूरी रह गई हैं;

(ग) क्या सरकार का गैर-सरकारी संगठनों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने और क्षेत्रीय विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए इस सीमा को हटाने या बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख) एमपीलैड्स योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक संसद सदस्य द्वारा लोगों की स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकासात्मक कार्यों की संस्तुति करने, जिसमें समाज के व्यापक जनहित के लिए टिकाऊ सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर दिया गया है, के लिए सक्षम बनाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी परिसंपत्तियां समुदाय के सभी वर्गों के लिए बिना किसी प्रतिबंध के सुलभ और उपयोग हेतु उपलब्ध हो सकें।

एमपीलैड्स निधि का उपयोग सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर अचल सार्वजनिक संपत्ति और केवल सरकारी स्वामित्व वाली और सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थानों, यानी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों सहित केंद्र, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र और स्थानीय सरकारों के लिए चल सार्वजनिक संपत्ति के निर्माण के लिए किया जा सकता है।

एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 के पैरा 6.2.6.2 के अनुसार, एक संसद सदस्य एक वित्तीय वर्ष में इन सभी संस्थाओं को साथ लेते हुए ट्रस्टों और सोसाइटियों के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये तक के कार्यों की संस्तुति कर सकता है। दिशानिर्देशों में आगे यह निर्धारित किया गया है कि संसद सदस्य के पूरे

कार्यकाल के दौरान किसी भी एक ट्रस्ट या सोसायटी के लिए अनुशंसित कार्यों का कुल मूल्य ₹1 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए।

तदनुसार, ट्रस्टों और सोसाइटियों को कार्यों के लिए संस्तुतियां सांसद के कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा अधिकृत कुल एमपीलैड्स निधि के 10% की समग्र सीमा के अधीन हैं, जिसमें किसी एक ट्रस्ट या सोसाइटी के लिए अधिकतम सीमा ₹1.00 करोड़ है।

(ग) और (घ) मंत्रालय एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के संशोधन के लिए प्रस्तावों सहित विभिन्न हितधारकों से नियमित रूप से सुझाव प्राप्त करता है और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसरण में उनकी जांच करता है। वर्तमान में, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के तहत ट्रस्ट/सोसाइटियों के लिए अधिकतम सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
